वकील अप्रार्थी को हिदायत दी गई कि राजीनामा पेश करावे अन्यथा साक्ष्य अप्रार्थी पेश की जावे। वास्ते साक्ष्य अप्रार्थी व राजीनामा पत्रावली दिनांक 19-2-21 को पेश हो। (सही)

19-2-21 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार उपस्थित। वकील अप्रार्थी द्वारा साक्ष्य अप्रार्थी पेश नहीं करना चाहते है तथा रास्ता नियमानुसार दिये जाने पर सहमति दी गई। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ब) वर्तमान D.L.C दर से रास्ते में आने वाली कुल भूमि की दो गुणा राशी खातेदारो को हिस्से अनुसार अदा करने पर स्वीकार किया जाता है, विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सही)
उपखण्ड अधिकारी
मांडेरी (बूंदी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.31 18:49:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

[न्या]यालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी (राज0)

101/प्रा.पत्र/2015 पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक 21.09.2015 श्री प्रमोद कुमार(RAS)

1 हरिनारायण आयु 50 वर्ष पुत्र किशनगोपाल जाति मीणा निवासी आमलीखेड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

2 प्रहलाद आयु 57 वर्ष आ0 रामकुंवार जाति मीणा निवासी आमलीखेड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

......प्रार्थीगण.....

बनाम

1 बाबुलाल आयु 50 वर्ष पुत्र बिरधीलाल जाति मीणा निवासी आमलीखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

2 चरतलाल आयु 21 वर्ष पुत्र कान्हा जाति मीणा निवासी आमलीखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

3 लोकेश पुत्र कान्हा जर्ये संरक्षक माता बादामबाई बैवा कान्हा जाति मीणा निवासी आमलीखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

4 अमरसिंह पुत्र कान्हा जर्ये संरक्षक माता बादामबाई बैवा कान्हा जाति मीणा निवासी आमलीखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

5 सावित्री बालिग पुत्री कान्हा जाति मीणा निवासी आमलीखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

6 गायत्री बालिग पुत्री कान्हा जाति मीणा निवासी आमलीखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

7 रामघणी बालिग पुत्री कान्हा जाति मीणा निवासी आमलीखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

8 बादामबाई आयु 45 वर्ष बेवा कान्हा जाति मीणा निवासी आमलीखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (राज0)

9 राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

.......अप्रार्थीगण......

<u>प्रार्थना पत्र – 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत्</u>

<u>**निर्णय**</u> दिनांक 19.02.2021

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) प्रस्तुत कर कथन किया कि खाता संख्या 25 नयी पुरानी 22 के खसरा न. ... रकबा 4.51 हैक्टेयर, खसरा न. 36 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 4.66 हैक्टेयर वाके ग्राम आमलीखेडा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है। जिसके खातेदार प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.31 18:49:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

जस्व रिकार्ड में अंकित है प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा न. 35,36 पर आने – जाने का कोई वैधानिक रास्ता नही होने से प्रार्थीगण खसरा न. 32 की पूर्वी मेंड से होकर स्वंय की खातेदारी कृषि भूमि खसरा न. 35 व 36 की दक्षिणी मेंड को जोडने वाली मेंड पर प्रार्थी पिछले 30 साल से रास्ते के रूप में उपयोग व उपभोग में लेते चले आ रहे है। प्रार्थीगण इसी मेंड के रास्तें से कृषि उपकरण फसल लाने ले जाने खाद बीज लाने ले जाने के लिए प्रार्थीगण लम्बे अरसे से इसी रास्ते का उपयोग करते चले आ रहे है। खसरा न. 32 की मेंड पर आने जाने वाले रास्ते का अप्रार्थी 1 लगायत 8 द्वारा अंग्रेजी बम्बूलो के कांटे डालकर बन्द कर दिया गया। एवं रास्तें को पूर्ण रूप से बन्द करने पर अमादा है। प्रार्थीगण के रास्ता मांगने पर सभी अप्रार्थीगण लडाई – झगड़ा करते है। उक्त मेंड के सहारे रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास कोई रास्ता विकल्प में नही है। प्रार्थीगण का रास्ता बन्द कर दिये जाने पर प्रार्थीगण को काश्त नही होने के कारण अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना असम्भव है। और अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के खसरा न. 32 की पूर्वी मेंड की पश्चिम तरफ रास्ता दिलवाया जाए।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण 1 लगायत 8 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में खसरा न. 39,47,46 की पश्चिम मेंड के सहारे से आते जाते रहे है। प्रार्थीगण जानबूझकर अप्रार्थीगण की भूमि से होकर नया रास्ता कायम करना चाहते है। भूमिधारी तहसीलदार इन्द्रगढ़ से रास्ते बाबत् मौका एवं रिकार्ड की जांच रिपोर्ट ली गई। मुताबिक फर्द मौका रिपोर्ट भूमिधारी तहसीलदार इन्द्रगढ़ के प्रार्थीगण के खसरा न. 35 में जाने के लिए रास्ता मौके पर नही है न ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। भूमिधारी द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रार्थीगण पूर्व से ही खसरा न. 32 की मेंड से आते–जाते थे। खसरा न. 32 में से रास्ता दिया जाना उचित बताया एवं खसरा न. 32 में से रास्ते के उपभोग में आने वाली 13 फुट चौड़ाई में रास्ते की कुल भूमि का रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि रास्ते में जाना बताया है।

उभयपक्षों के अधिवक्तावों की बहस सुनी गई प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण रास्ते में आनी वाली भूमि का नियमानुसार डी.एल.सी. दर से भुगतान करने एवं भूमि के बदले भूमि देने पर सहमत है अतः प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के खसरा न0 35 के मध्य स्थित खसरा न0 32 की मेड़ से 13 फुट की चौड़ाई मे रास्ता दिलवाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.31 18:49:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कापरेन (बून्दी)

Scanned with CamScanner

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस नियमानुसार रास्ता दिये जाने पर सहमति प्रकट की गई।

हमारे द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा ट्रेस एवं भूमिधारी तहसीलदार इन्द्रगढ़ की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा न0 35 रकबा 4.51 हैक्टेयर पर वर्तमान में आने जाने के लिए कोई रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है। अतः प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर आने जाने के लिए रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि खसरा न0 30 गैर मुमकिन रास्ता धाकड़खेडी से आमलीखेड़ा जाने वाले रास्ते से प्रारम्भ होकर खसरा न0 32 की पूर्वी मेड़ के सहारे – सहारे पश्चिम की तरफ 13 फीट की चौड़ाई में खसरा न0 35 की मेड़ तक जिसका कुल क्षेत्रफल 0.04 हैक्टेयर भूमि तहसीलदार इन्द्रगढ़ की मौका रिपोर्ट के मुताबिक रास्ता दिया जाता है। रास्ते में आने वाली कुल भूमि 0.04 हैक्टेयर भूमि की राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित डी.एल.सी. दर 5,58,900 प्रति हैक्टेयर के अनुसार कुल मालियत 22,356 रूपये होती है। जिसकी दुगनी राशि 44,712 रूपये प्रार्थीगण जर्ये डी.डी. तहसीलदार इन्द्रगढ़ को पेश करें। तहसीलदार इन्द्रगढ़ डी.डी. राशि प्राप्त कर रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन कर नक्शा तरमीम करें। वाद अंकन रास्ता डी.डी. राशि का अप्रार्थीगण को हिस्से अनुसार वितरित करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 19.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी,
लाखेरी(बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.31 18:49:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मौका रिपोर्ट

दिनॉक 16/05/2017 को राजस्व लोक अदालत अभियान
कु० बलवन मे श्री उपखण्ड न्यायालय मे पेश्कार वाद सं. 101/
पत्र/2015 के सम्बन्ध मे हमराह श्री उपखण्ड अधिकारी महोदय,
श्री तहसीलदार साहब इन्द्रगढ पटवारी के साथ ख०नं० 35 व ख०नं०
32 ग्राम आमलीखेडा का मौका देखा गया।

मौका स्थिति अनुसार खातेदार प्रहलाद व हरिनारायण के हिस्से
ख०नं. 35 मे जाने के लिए ख०नं० 32 मे से रास्ता दिया जाना
उचित होगा। ख०नं० 32 मे से रास्ते दिये जाने पर रास्ते मे गई
भूमि की नाप की गई। जिसमे ख०नं० 32 मे रास्ते मे 0.04 हैक्टे.
भूमि जायेगी। जो निम्न नक्शानुसार है।

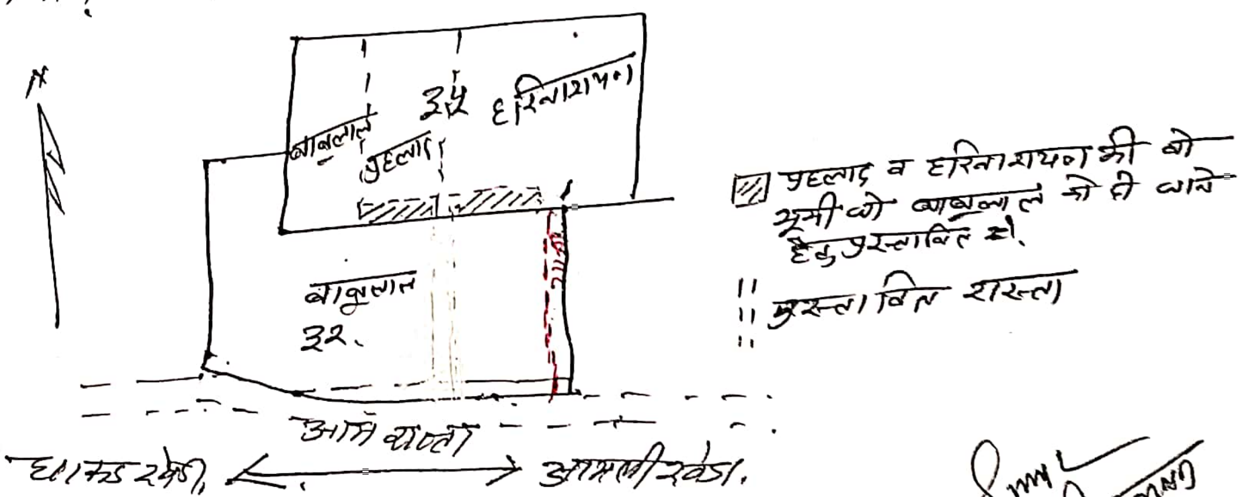

पटवारी बलवन

16/5/17

तहसीलदार (भू.अ.)
इन्द्रगढ़, तह. इन्द्रगढ़ (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.03.31 18:49:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner